

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: 11 (2) / मो. / एमपीआर / आईसीडीएस / 2017-18

जयपुर, दिनांक

उप निदेशक

195/21-154

2-11-2018

महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषय:- आंगनबाड़ी केन्द्र / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का परियोजनावार अंक मिलान करवाने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 176214 दिनांक 01.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएँ ग्रामीण, शहर एवं जनजाति क्षेत्र में संचालित हो रही का परिसीमन करते हुए 21 बाल विकास परियोजनाओं का विलोपन तथा 21 नई परियोजनाएँ नवसृजित कर संचालन करने के निर्देश दिये गये थे।

परियोजनाओं के पुर्ननिर्धारण अनुसार ग्रामीण, शहरी एवं जनजाति क्षेत्र के अनुसार परियोजनावार मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का अंक मिलान सलंगन निर्धारित प्रपत्र के अनुसार करवाकर सूचना सहित दिनांक 03.10.2018 से 08.10.2018 तक संबंधित कार्मिक को निदेशालय में उपस्थित होकर करवाने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन आपके जिले से उक्त सूचना सहित कार्मिक का निदेशालय में उपस्थित हो कर अंक मिलान नहीं करवाया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं के पुर्ननिर्धारण अनुसार सलंगन निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचना सहित दिनांक 12.11.2018 तक संबंधित कार्मिक को निदेशालय में उपस्थित होकर अंक मिलान करवाने हेतु पाबन्द करे, अन्यथा विलम्ब के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

195155-458 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: 11 (2) / मो. / एमपीआर / आईसीडीएस / 2017-18

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

2-11-2018

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं के पुर्ननिर्धारण अनुसार परियोजनावार सूचना उपनिदेशक कार्यालय को समयावधि में भिजवाना सुनिश्चित करे।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।



अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ